



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—१, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, ०५ अप्रैल, २००६

चैत्र १५, १९२८ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-१

संख्या ३६०/सात-वि-१-०१(क)-१४-२००६

लखनऊ, ०५ अप्रैल, २००६

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, २००६ पर दिनांक ०४ अप्रैल, २००६ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११ सन् २००६ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, २००६

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११ सन् २००६)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में विनिधान परक वातावरण तैयार करने, उद्योगों की स्थापना एवं विकास करने, किये गये निवेश के अनुसार विनिर्दिष्ट उद्योगों को विशेष प्रास्थिति/प्रोत्साहन देने, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में गतिरोध/अवरोधों को दूर करने और राज्य में विनिधान आकृष्ट करने, सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण करने, राज्य में सेवायोजन के अवसरों में वृद्धि करने हेतु श्रम-विधियों का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए किये जाने वाले उपायों पर सरकार को सलाह देने हेतु राज्य में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना और उससे सम्बंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय — एक

प्रारंभिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, २००६ कहा जायेगा।

(२) यह १५ अक्टूबर, २००३ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषाएं

2—(क) 'बोर्ड' का तात्पर्य पूर्ववर्ती परिषद् के गवर्नर बोर्ड से है;

(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ग) 'संयोजक' का तात्पर्य परिषद् के संयोजक से है;

(घ) 'परिषद्' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से है;

(ङ) 'सदस्य' का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है;

(च) 'पूर्ववर्ती परिषद्' का तात्पर्य औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-55(सचिव-ग-कैम्प)औ0वि0अनु0-6, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के प्रथम स्थापित और बाद में सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन निबन्धक सोसाईटी द्वारा क्रमांक 2348/2003-2004 पर पहली मार्च, 2004 को सोसाईटी के रूप में पंजीकृत उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से है;

(छ) 'सचिव' का तात्पर्य परिषद् के सदस्य-सचिव से है।

अध्याय - दो

परिषद् की स्थापना, कारबार का संचालन, कृत्य, शक्तियाँ, निधि, लेखा एवं लेखा-परीक्षा

परिषद् की स्थापना

3—(1) उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् सभी प्रयोजनों के लिये एक स्थानीय प्राधिकरण समझी जाएगी।

(4) परिषद् का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा और इसके ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते हैं, जहाँ वह आवश्यक समझे।

परिषद् का गठन

4—(1) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परिषद् का अध्यक्ष, पूर्ववर्ती परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के दिनांक से परिषद् का अध्यक्ष माना जाएगा।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव - पदेन संयोजक

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त; - पदेन सदस्य सचिव

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(च) उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(छ) उत्तर प्रदेश सरकार में कर एवं निबन्धन विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(ज) उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(झ) उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(ञ) उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(ट) उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यावरण विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(ठ) उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग का प्रमुख सचिव; - पदेन सदस्य

(ड) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश - पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड; - पदेन सदस्य

(ढ) अर्थ तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों के 12 से अनधिक प्रख्यात व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किये जाएंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नामित पूर्ववर्ती परिषद् का सदस्य, पूर्ववर्ती परिषद् में अपने नामित किये जाने के दिनांक से परिषद् का सदस्य माना जाएगा और वह अपना पद-त्याग करने या अन्यथा रिक्त यदि कोई हो, किये जाने तक बना रहेगा।

(2) राज्य सरकार या परिषद् समय-समय पर विशेष आमंत्रितियों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों को भी नामित कर सकती है :

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परिषद् के लिये राज्य सरकार या परिषद् द्वारा नामित विशेष आमंत्रिती, पूर्ववर्ती परिषद् में अपने नामित किये जाने के दिनांक से परिषद् के विशेष आमंत्रिती माने जाएंगे।

(3) परिषद् किसी व्यक्ति को परिषद् की बैठक में किसी विषय पर उसको परामर्श देने या सहयोग करने के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकती है, और ऐसा आमंत्रित व्यक्ति परिषद् की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) परिषद् में कोई रिक्ति होने या उसके गठन या उसके कार्य या कार्यवाही में त्रुटि या अनियमितता के कारण परिषद् का कोई कार्य या उसकी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

5-(1) परिषद् का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा जब तक कि उसके कार्यकाल का पर्यवसान पूर्व में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा न किया जाए और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि

(2) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड(ढ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आदेश द्वारा उसके कार्यकाल का पर्यवसान न किया जाए और वह पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा अपने पद या सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है, और/या ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसे अपने पद से रिक्त हुआ समझा जाएगा।

(4) अध्यक्ष और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य अवैतनिक होंगे।

6-(1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपना समुचित कार्य करने के लिए उपयुक्त पदों का सृजन कर सकता है।

परिषद् के कर्मचारिवृन्द

(2) परिषद् उपधारा (1) के अधीन सृजित किये गये पदों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी, स्थायी या संविदा के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है या उन्हें नियोजित कर सकता है और उन्हें मजदूरी, वेतन आदि का संदाय कर सकता है तथा उन्हें भविष्य निर्वाह निधि, उपदान आदि की प्रसुविधाओं सहित ऐसी अन्य प्रसुविधाएं अनुज्ञात कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायं।

(3) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में परिषद् या उसके किन्हीं कृत्यकारियों द्वारा की गयी किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रारम्भ से शून्य होगी और उसकी सेवायें इस आधार पर किसी भी समय संक्षेपतः समाप्त किये जाने योग्य होगी।

(4) परिषद् अपने अंशकालिक कृत्यकारी के रूप में सरकार या किसी संगठन के पूर्व अनुमोदन से उसके कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकती है:

परन्तु ऐसे उपर्युक्त कृत्यकारी, जो पूर्ववर्ती परिषद् में कार्य कर रहे थे, परिषद् में कार्य करते रहेंगे।

परिषद् के कृत्य

7-परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(क) निम्नलिखित के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर राज्य सरकार को ^{हस्ताक्षर} देना,-

- (1) राज्य में विनिधानपरक वातावरण को संवर्धित करना।
- (2) उद्योग और सेवाओं की स्थापना और विकास।
- (3) उद्योगों और सेवाओं को विशेष प्रास्थिति/प्रोत्साहन देना।
- (4) राज्य में औद्योगिकीकरण और विनिधान की प्रक्रिया में गतिरोध/बाधाओं को दूर करना।
- (5) राज्य के विभिन्न परिक्षेत्रों को स्थानीय क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण सहित आर्थिक विकास।
- (6) राज्य में विनिधान को आकर्षित करना।
- (7) सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- (8) श्रम विधियों को युक्तिसंगत बनाना जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो।

(ख) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

परिषद् की शक्तियां।

8-(1) परिषद् के कृत्यों को सुकर बनाने के लिए परिषद् राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण से कोई सूचना मंगा सकता है।

(2) परिषद् राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कृत्यकारी या राज्य सरकार के अधीन किसी अभिकरण या प्राधिकरण को परामर्श के लिए बुला सकता है।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया

9-परिषद् के लिए बैठक संचालित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी कि जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाय।

शक्तियों का प्रतिनिधायन

10-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अपने द्वारा नियुक्त की जाने वाली किसी समिति को या परिषद् के संयोजक सचिव या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतिनिधायन कर सकता है जैसाकि वह उचित समझे।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखितों का अभिप्रमाणन

11-परिषद् की सभी कार्यवाहियों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जायेगा और परिषद् के सभी आदेशों और अन्य लिखितों को परिषद् के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

परिषद् की निधियां

12-(1) परिषद् की स्वयं की अपनी निधि होगी जिसे परिषद् निधि कहा जाएगा जो स्थानीय निधि होगी जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जायेगी।

(2) परिषद् भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान और सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों और कम्पनियों से अंशदान प्राप्त कर सकेगी और प्रदान की गयी सेवाओं के लिए फीस और प्रभार का भी संग्रह कर सकेगी।

(3) धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी परिषद् निधि का प्रबंध और नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वायत्तशासी निकाय के रूप में किया जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

13-(1) परिषद् समुचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव करेगी और तुलन-पत्र को सम्मिलित करते हुए लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे रूप में तैयार करेगी जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) परिषद् का लेखा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के वार्षिक लेखा परीक्षा के अधीन होगा :

परन्तु निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के स्थान पर या इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को अपने द्वारा दिए गए अनुदान के संबन्ध में लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है।

(3) परिषद् का लेखा, लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित इसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित परिषद् के समक्ष वार्षिक रूप से या ऐसे समय पर जिसे उसके द्वारा निदेशित किया जाए, रखा जाएगा।

अध्याय—तीन

नियम और विनियम

14—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है :

नियम बनाने की शक्ति

परन्तु यह कि राज्य सरकार भूतलक्षी दिनांक से नियम बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व का न हो।

15—(1) परिषद् के प्रशासन और कार्यकलाप के लिए परिषद् इस अधिनियम या एतद् अधीन बनाए गए नियमों से अनसंगत विनियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी एक मामले के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

(क) परिषद् की बैठकें बुलाना और आयोजित करना, ऐसी बैठकों का कार्यसंचालन करना और इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के संयोजक और सचिव के अधिकार और कर्तव्य;

(ग) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें;

(घ) इसकी बैठकों और इसकी समितियों की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य आमंत्रियों को दिया जाने वाला भत्ता;

(ङ) परिषद् की परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध।

16—धारा 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद्, अध्यक्ष, संयोजक या सचिव ऐसे निदेशों का कार्यान्वयन करेंगे जैसा कि इस अधिनियम को सुचारु रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

17—(1) परिषद् की स्थापना के दिनांक से पूर्ववर्ती परिषद् अस्तित्व में नहीं रह जाएगी और उपशमित हो जायेगी और इसकी सभी आस्तियाँ, दायित्व, अधिकार और बाध्यताएं परिषद् में निहित हो जायेगी।

निहित होना, उपशमन और व्यावृत्ति

(2) पूर्ववर्ती परिषद् के निहित होने और उपशमित होते हुए भी उक्त पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी या चालू रहने वाली कोई कार्यवाही परिषद् द्वारा किया गया या चालू रहने वाला कार्य समझा जायेगा।

(3) पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा या इसके विरुद्ध संस्थित या प्रतिवाद किये जा रहे सभी वाद और अन्यविधिक कार्यवाहियाँ जो उपधारा (1) के अधीन निहित होने और हस्तान्तरण के सिवाय संस्थित हों या प्रतिवाद किये गये हों, को परिषद् द्वारा या इसके विरुद्ध चालू या संस्थित या प्रतिवाद किया जा सकेगा।

18—जहां कोई शंका या विवाद उत्पन्न होता है कि धारा 17 के अधीन कोई सम्पत्ति या आस्ति परिषद् में निहित है या नहीं या उस धारा के अधीन कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यताएं परिषद् के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हैं या नहीं, तो ऐसी शंका या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट की जायेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

सम्पत्ति के निहित होने पर राज्य सरकार के निर्णय का अंतिम होना

संरक्षण

19-किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सदभावना से किया गया जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

20-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई होती है तो सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश, अपने बनाये जाने के बाद राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

परिषद् का विघटन

21-(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों की रूप से प्राप्ति हो गयी है जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन परिषद् की स्थापना थी या उसकी राय में परिषद् उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम नहीं हो पा रही है जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी थी और जिसके कारण परिषद् का विद्यमान बने रहना राज्य सरकार की राय में अनावश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद् उस दिनांक से विघटित हो जायेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये और परिषद् तदनुसार विघटित समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से-

(क) समस्त सम्पत्तियाँ, निधियाँ और देय जो परिषद् में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने वाली हैं, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल की जायेंगी।

(ख) समस्त दायित्व जो परिषद् के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में विनिधानपरक वातावरण तैयार करने, उद्योगों की स्थापना करने, किये गये विनिधान के अनुसार उद्योगों को विशेष प्रास्थिति और प्रोत्साहन देने, औद्योगिकीकरण के लिये व्यवधान और बाधाएं दूर करने और राज्य में विनिधान आकर्षित करने, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, श्रम विधियों को युक्तिसंगत बनाने, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और इससे सम्बंधित मामलों में उठाये जाने वाले कदमों के सम्बंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन 15 अक्टूबर, 2003 को किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य और अग्रणी हस्तियों को परिषद् का सदस्य नाम निर्दिष्ट किया गया था। उनसे प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान से परिषद् राज्य सरकार को समय-समय पर विभिन्न नीति सम्बंधी सूत्रपात की सिफारिश करती रही है, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये अनेक नीतियों को शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा इस नीति सम्बंधी सूत्र के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 की अवधि में तैंतीस हजार करोड़ रुपये की सीमा तक विनिधान के लिये प्रस्ताव आकर्षित करने में राज्य समर्थ हुआ है जो राज्य के लिये एक कीर्तिमान है। अनेक अन्य राज्यों ने इन नीति सम्बंधी सूत्रों को अपनाया है। परिषद् द्वारा विचारों की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वायत्तता के कारण परिषद् के लिये नई नीतियों की सिफारिश करना सम्भव हुआ है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त परिषद् को स्वायत्तशासी प्रास्थिति के साथ एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से स्थापित करने के लिये विधि

बनाई जाए जिससे यह राज्य के विकास और उसके हितों के लिये अपने दायित्वों को अधिक प्रभावशाली रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विकास परिषद विधेयक, 2006 पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-I

No. 360/VII-V-1-1(Ka) 14-2006
Dated Lucknow April 05, 2006

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vikas Parishad Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 04, 2006.

THE UTTAR PRADESH DEVELOPMENT COUNCIL ACT, 2006

(U.P. Act no. 11 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Development Council in the State to advise the Government on the steps to be taken for preparing investment friendly climate in the State, establishment and development of industries, giving special status/incentives to specific industries according to the investment made, remove the bottlenecks/barriers towards the process of industrialization and to attract investment in the State, simplify the Government procedures, rationalize the labour laws so as to increase employment opportunities in the State and other matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Development Council Act, 2006. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on October 15, 2003

Definitions

2. (a) "Board" means the Board of Governors of the predecessor Council;
- (b) "Chairman" means the Chairman of the Council;
- (c) "Convener" means the Convener of the Council;
- (d) "Council" means the Uttar Pradesh Development Council established under section 3;
- (e) "Member" means a member of the Council;
- (f) "Predecessor Council" means the Uttar Pradesh Development Council, first established by Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh in Office Memorandum no. 55 (Sachiv-Ga Camp)/Au. Vi. Anu.-6, dated the October 15, 2003 and subsequently registered as a Society on thirty first day of March, 2004 at serial number 2348/2003-2004 by the Registrar of Societies, Uttar Pradesh under the Societies Registration Act, 1860;
- (g) "Secretary" means the Member Secretary of the Council.

CHAPTER - II**ESTABLISHMENT, CONDUCT OF BUSINESS, FUNCTION, POWERS, FUNDS, ACCOUNTS
AND AUDIT OF THE COUNCIL**Establishment of
the Council

3. (1) There shall be established in the State a Council by the name of the Uttar Pradesh Development Council.
- (2) The Council shall be a body corporate.
- (3) The Council shall for all purposes be deemed to be a local authority.
- (4) The Head Office of the Council shall be at Lucknow and it may have offices at such other places as it may consider necessary.

Constitution of the
Council

4. (1) The Council shall consist of,—

(a) the Chairman to be appointed by the State Government :

Provided that the Chairman of the predecessor Council shall be deemed to have been the Chairman of the Council from the date of his appointment as Chairman of the predecessor Council;

(b) Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh; - *ex-officio*
Convener

(c) Industrial Development Commissioner and Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh; - *ex-officio*
Member
Secretary

(d) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Energy; - *ex-officio*
Member

(e) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Finance; - *ex-officio*
Member

(f) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Excise; - *ex-officio*
Member

(g) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Tax and Registration; - *ex-officio*
Member

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| (h) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Revenue; | - | <i>ex-officio</i>
<i>Member</i> |
| (i) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Public Works Department; | - | <i>ex-officio</i>
<i>Member</i> |
| (j) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Tourism; | - | <i>ex-officio</i>
<i>Member</i> |
| (k) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Environment ; | - | <i>ex-officio</i>
<i>Member</i> |
| (l) Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Labour; | - | <i>ex-officio</i>
<i>Member</i> |
| (m) Chairman and Managing Director, Uttar Pradesh Power Corporation Limited ; | - | <i>ex-officio</i>
<i>Member</i> |
| (n) Prominent persons from various sectors of the economy not exceeding twelve to be nominated by the State Government. | | |

Provided that a member of the predecessor Council nominated by the State Government shall be deemed to have been the member of the Council from the date of his nomination to the predecessor Council and shall continue till he vacates his office.

(2) The State Government or the Council may also nominate suitable persons as special invitees from time to time :

Provided that the special invitees nominated by the State Government or the Council from time to time for the predecessor Council shall be deemed to have been special invitees of the Council from the date of their nomination to the predecessor Council.

(3) The Council may invite any person to attend a meeting of the Council for the purpose of assisting or advising it on any matter, and the person so invited may take part in any proceedings of the Council but shall have no right to vote.

(4) No act or proceedings of the Council shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in, or defect or irregularity in the constitution of the Council or its act or proceeding.

5. (1) The Chairman of the Council shall hold office for 5 years unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the *Gazette* and shall be eligible for reappointment.

Terms of office
of Chairman and
other members

(2) A person nominated under clause (n) of sub-section (1) of section 4 shall, unless his term is determined earlier by the State Government by order, continue to be a member for a period of 5 years and shall be eligible for re-nomination.

(3) The Chairman or any other member referred to in sub-sections (1) and (2) may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office or membership, and/or such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(4) The Chairman and the members referred to in sub-section (2) shall be honorary.

Staff of the Council

6. (1) The Council may, with prior approval of the State Government, create suitable posts for its proper functioning..

(2) The Council may appoint or employ against the posts created under subsection (1) temporarily or permanently or on contract basis, suitable persons as per the procedure approved by the State Government and pay them such wages, salaries etc. and allow them such other benefits including the benefits of Provident Fund, Gratuity etc. as may be approved by the State Government.

(3) Any person appointed by the Council or any of its functionaries, in contravention of the provisions of this section, shall be void *ab-initio* and his services shall be liable to be summarily terminated on this ground at any time following its determination.

(4) The Council may appoint staff of the Government or any organization to be its part-time functionary with the prior approval thereof :

Provided that such of the above functionaries, as were functioning in the predecessor Council, shall continue to do function in the Council.

Functions of the Council

7. The functions of the Council shall be,—

- (a) to advise the State Government on the steps to be taken for
- (i) promoting investment friendly climate in the State;
 - (ii) establishment and development of industries and services;
 - (iii) giving special status/incentives to industries and services;
 - (iv) removing the bottlenecks/barriers in the process of industrialization and investment in the State;
 - (v) economic development, including industrialization of various regions and local areas of the State;
 - (vi) attracting investment in the State;
 - (vii) simplification of the government procedures;
 - (viii) rationalizing the Labour Laws so as to increase employment opportunities in the State;
- (b) any other functions as may be prescribed.

Powers of the Council

8. (1) To facilitate the functions of the Council, the Council may call for any information from any Department of the State Government or any authority or any other agency under the State Government.

(2) The Council may call for consultation any officer or functionary of the State Government or any agency or authority, functioning under the State Government.

Procedure to conduct the meetings

9. The procedure to conduct the meetings for the Council shall be such as may be prescribed by regulation.

Delegation of powers

10. Subject to the provisions of this Act, the Council may by general or special order, delegate, to any committee to be appointed by it or to the Convener Secretary or any other officer of the Council such of its power and duties under this Act as it deems fit.

Authentication of orders and other instruments of the Council

11. All proceedings of the Council shall be authenticated by the signature of the Chairman and all orders and other instruments of the Council shall be authenticated by the signature of the Secretary or such other officer of the Council as may be authorized by the Chairman in this behalf.

12. (1) The Council shall have its own funds to be called the Council Fund which shall be a local fund to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Council. Funds of the Council

(2) The Council may obtain grants from the Government of India and the State Government and contribution from the statutory bodies, cooperative societies and companies and may also collect fees and charges for the services rendered.

(3) Notwithstanding anything contained in section 16, the Council Fund shall be managed and controlled by the Council as autonomous body.

13. (1) The Council shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as may be determined by the Council. Accounts and Audits

(2) The accounts of the Council shall be subject to audit annually by the Director, Local Fund Audit :

Provided that in place of or in addition to the Director, Local Fund Audit, the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or Comptroller and Auditor General of India or to any other auditor in respect of grants made by it.

(3) The accounts of the Council, as certified by the auditors together with the audit reports thereon, shall be placed before the Council annually or at such times as may be directed by it.

CHAPTER - III

RULES AND REGULATIONS

14. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act : Power to make rules

Provided that the State Government may make rules retrospectively from a date not before the date of commencement of the Act.

15.(1) The Council may make the regulations, not inconsistent with this Act or the rules made thereunder for the administration and affairs of the Council. Power to make regulations

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) summoning and holding of meetings of the Council, the conduct of business at such meetings and number of members necessary to form quorum thereat;

(b) the power and duties of the Convener and the Secretary of the Council;

(c) the salaries, allowances and the conditions of service of its officers and employees;

(d) the allowance to be paid to its Chairman, Members and other invitees for attending its meetings and meetings of its committees;

(e) the management of the properties of the Council.

16. Subject to the provisions of section 12, the Council, the Chairman, the Convener or the Secretary shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act. Control by the State Government

CHAPTER - IV

MISCELLANEOUS

17. (1) With effect from the date of the establishment of the Council, the predecessor Council shall cease to exist and abate and all its assets, liabilities, rights and obligations shall vest in the Council. Vesting abatement and savings

(2) Notwithstanding the vesting and abatement of the predecessor ~~Council~~ ^{Council} anything done or any action taken or continuing by the said predecessor Council, ~~it~~ ^{shall be} deemed to have been taken and done or continued by the Council.

(3) All suits and other legal proceedings instituted or defended or which ~~+~~ ^{might} but for vesting and transfer under sub-section(1) have been instituted or defended ~~+~~ ^{by or} against the predecessor Council may be continued or instituted or defended by or ~~ag-~~ ^{against} the Council.

Decision of the State Government on the vesting of property to be final ^{has} 18. Where any doubt or dispute arises as to whether any property or asset ~~is~~ ^{have} vested in the Council under section 17 or any rights, liabilities or obligations ~~to~~ ^{become} the rights, liabilities and obligations of the Council under that section such ~~dis-~~ ^{doubt} or dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

Protection ^{or} 19. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person ^{or} anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or any rules ^{or} regulations made thereunder.

Power to remove difficulties 20. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under in this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature.

Dissolution of the Council 21.(1) Where the State Government is satisfied that the purposes for which the Council was established under this Act have been substantially achieved or is of the opinion that the Council is not being able to achieve the objectives for which it was established, so as to render the continued existence of the Council in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may by notification declare that the Council shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Council shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date,—

(a) all properties, funds and dues which are vested in, or realisable by the Council shall vest in or be realisable by, the State Government;

(b) all liabilities which are enforceable against the Council shall be enforceable against the State Government.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Development Council had been constituted by the State Government on October 15, 2003 to advise the State Government on the steps to be taken for preparing investment friendly climate in the State, establishment of the industries, giving special status and incentives to the industries according to the investments made, removing the bottlenecks and barriers towards the industrialization and to attract investment in the State, simplifying the Government procedures, rationalizing the labour laws so as to increase employment opportunities in the State and other matters connected therewith. Several prominent and leading personalities in various sectors of Indian economy were nominated as members of the Council. Resourcing on their wisdom, the Council has been recommending, from time to time, various policy initiatives to the State Government on which the State Government announced several policy formulations for the development of various sectors of the State economy. As a consequence of these

policy initiatives by the State Government, the State has been able to attract proposals for investments during the year 2005 to the extent of over rupees thirty three thousand crores, a record for the State. Several other States have borrowed from these policy formulations. It has been possible for the Council to make the new policy- recommendations because of freedom of thought and autonomy of functioning by the Council. It has been decided to make a law to establish the said Council as a local authority with autonomous status with retrospective effect, to enable it to discharge its responsibilities more effectively for the development and benefit of the State.

The Uttar Pradesh Development Council Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 4 राजपत्र (हि०)–(8)–2006–597(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए०.पी० 1 सा० विधायी–(9)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।